कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, मधुबनी।

पुनर्निविदा

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 एवं पत्रांक 370 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्रेषित नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में मध्याह्न भोजन के खाद्यान्न उठाव एवं विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने के लिए संवेदकों का चयन किया जाना है। यह पूर्व में प्रकाशित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा प्रकाशन किया जा रहा है।

जिलान्तर्गत 03 प्रखंडों में (कलुआही, लखनौर, एवं फुलपरास) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संवेदक चयन किया जाना है। संवेदक के रूप में चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी, टाउन क्लब फील्ड, रेलवे स्टेशन के निकट, मधुबनी के पते पर निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 28.03.2018 के 5:00 बजे अपराहन तक आमंत्रित की जाती है जिसे दिनांक 31.03.2018 के पूर्वाहन 11.00 बजे समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में खोला जाएगा। उक्त अवसर पर निविदादाता/आवेदन कर्त्ता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। लिफाफ के उपर प्रखंड का नाम जिसके लिए निविदा डाली गई है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। एक लिफाफा में एक ही निविदा देनी होगी। संवेदक चयन हेतु निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखंड हेतु 5 टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखंड के लिए 8 टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएगें। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। प्रखंड फुलपरास, कलुआही के लिए 05–05 तथा लखनौर प्रखंड के लिए 08 वाहनों का एकरारनामा निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू) का अग्रिम सुरक्षित राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, मधुबनी के नाम से जमा करना होगा, जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी के कार्यालय में जमा रहेगा।

3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस किया जाएगा।

4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोष जनक कार्य करने पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रू) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।

6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।

7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।

8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी एवं उक्त प्रखंड के प्रखंड साधनसेवी का मोबाईल नम्बर, जिला कार्यालय, मधुबनी का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आश्य का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/ सरकारी सेवक/ बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/ जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/ बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी के कर्मी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय, मधुबनी द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।

13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात–यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रृटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय, मधुबनी द्वारा वाहन के कागजातों की जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यालय, मधुबनी से कराना होगा कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिये है।

14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID Proof/ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।

15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16. समान अहर्ता होने की स्थिति में वैसे निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास अपना ट्रैक्टर/पिकअप/छोटी वाहन एवं अन्य व्यवसायिक वाहन ज्यादा हो। इसके बाद भी सभी अर्हताएँ समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

17. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा।

18. चावल का उठाव प्रखंड साधनसेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिये प्रखंड साधनसेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्या निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहूँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखंड साधनसेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखंड साधनसेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधनसेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड साधनसेवी

द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी को अगले माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन येाजना, मधुबनी विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिवहन–सह–हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15वीं तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

19. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार मे अधिकतम एक वर्ष तक के लिए ही किया जायेगा। संतोषजनक की स्थिति में अधिकतम तीन वर्ष तक कार्य करने का अवसर दिया जाएगा तथा संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति, मधुबनी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति, मधुबनी का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

20. निविदा दाता को मधुबनी जिला का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

21. संवेदक का चयन जिस प्रखंड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिए ही मान्य होगा।

22. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

23. विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट www.madhubani.bih.nic.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय से जानकारी प्राप्त की ज़ा सकती है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
–सह– सचिव,
जिला स्तरीय संवेदक चयन समिति,
मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी
–सह– अध्यक्ष,
जिला स्तरीय संवेदक चयन समिति,
मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी।

कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, मधुबनी।

संवेदक चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा पत्र।

1. आवेदित प्रखंड का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम :– ....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :– ....
4. उम्र (जन्म तिथि) :– ....
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :– ....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :– ....

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

7. स्थायी पता :– ....

ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना– ....

प्रखंड– .... जिला– .... राज्य– ....

पिन कोड– ....

8. पत्राचार का पता :– ....

ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना– ....

प्रखंड– .... जिला– .... राज्य– ....

पिन कोड– ....

9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हॉ/नहीं) :– ....।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हॉ/नहीं) :– ....।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अन्दर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हॉ/नहीं) :– ....।
12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हॉ/नहीं) :– ....।

(एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

13. मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हॉ/नहीं) :– ………………………………।

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना में कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक/असंतोषजनक	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ0सं0 …………

14. कुल एकारनामा वाले वाहनो की संख्या :–

निजी वाहन		अन्य वाहन		कुल वाहन	

क्र0सं0	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख
1.							पृ.सं. ……… से ……… तक
2.							पृ.सं. ……… से ……… तक
3.							पृ.सं. ……… से ……… तक
4.							पृ.सं. ……… से ……… तक
5.							पृ.सं. ……… से ……… तक
6.							पृ.सं. ……… से ……… तक
7.							पृ.सं. ……… से ……… तक
8.							पृ.सं. ……… से ……… तक

15. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

16. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

17. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हॉ/नहीं) :– ………………………………।

(यदि हँ तो, किनके नाम से ……………………………………………… एवं आपसे संबंध ………………………………………)

18. किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हॉ/नहीं) :– ……………………………………………।

19. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी के साथ सभी अनुमान्य शर्तो के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हॉ/नहीं) :– ………………………………………………………………।

20. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :–

(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (उपर से नीचे तक) :– ………………………………………।

(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (नीचे से उपर तक) :– ………………………………………।

"मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाऍ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाऍ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रद्द करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा"।

स्थान :– …………………………

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर

दिनांक :– …………………………

एवं पूर्ण पता